



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21542

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - ए सं. - 12888 वर्ष 2025

गिरजा शंकर मिश्रा

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक
शिक्षा लखनऊ एवं 6 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता

: योगेन्द्र कुमार मिश्रा

प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता

: मु.स्था.अ.

न्यायालय सं. -17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेंद्र कुमार मिश्रा और प्रत्युत्तरदातागण सं. 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:

"(i) जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला लखनऊ/विरोधी पक्षकार सं. 5 द्वारा पारित आक्षेपित

आदेश दिनांक 18.08.2025, (जैसा इस रिट याचिका के अनुबंध संख्या-2 में अंतर्विष्ट है) को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रभावी न करने के लिए प्रत्युत्तरदातागण को आदेश देते हुए, उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(ii) प्रत्युत्तरदातागण को जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला लखनऊ/विरोधी पक्षकार सं. 5 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.08.2025, (जैसा इस रिट याचिका के अनुबंध संख्या-2 में अंतर्विष्ट है) को प्रभावी न करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(iii) प्रत्युत्तरदातागण को, याची को जुलाई, 2000 से मई, 2006 तक के वेतन का बकाया भुगतान करने का आदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।"

3. दिनांक 13.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"दिनांक 04.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :-

"याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री योगेंद्र कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री राजीव सिंह चौहान को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी संसूचना पत्र दिनांक 18.08.2025 को चुनौती दी गई है, और प्रत्युत्तरदाता को आक्षेपित आदेश/पत्र दिनांक 18.08.2025 को प्रभावी न करने का आदेश देते हुए, परमादेश रिट की मांग भी की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि याची को आरंभ में 15.12.1998 को सहायक अध्यापक, एल.टी. ग्रेड के पद पर नियुक्त किया गया था, और जब वित्तीय सहमति प्रदत्त नहीं की गई थी, तो उसने रिट याचिका सं.4637 एस/एस वर्ष 2000 दाखिल करके इस न्यायालय उपागम किया था, जिसमें आदेश दिनांक 25.08.2025 पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:-

"स्वीकार किया जाता है।

विरोधी पक्षकार सं. 1 से 4 की ओर से नोटिस विद्वान् मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा स्वीकृत की गई है, जिन्होंने प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है और उन्हें प्रदत्त किया जाता है।

विरोधी पक्षकार सं. 5 को नोटिस जारी किया जाए।

याचिका में अभिकथन किया गया है कि प्रबंधन ने जि.वि.नि. को रिक्ति के बारे में सूचित किया था, और क्योंकि जि.वि.नि. द्वारा नियुक्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए प्रबंधन समिति ने याची को नियुक्त कर दिया था, जो 15.12.1998 से कार्यरत है।

विद्वान् स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि रिक्ति के बारे में जि.वि.नि. को कभी सूचित नहीं किया गया था, और दो समाचारपत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपर्युक्त तथ्यों की दृष्टि से, विरोधी पक्षकारों को, जुलाई, 2000 से सम्यक् रूप से चयनित अभ्यर्थीद्वारा पद ग्रहण करने तक, याची को वेतन का भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।”

उपर्युक्त का निर्देश करते हुए, वह निवेदन करते हैं कि उपर्युक्त अंतरिम आदेश द्वारा, विरोधी पक्षकारों को, जुलाई, 2000 के महीने से याची को वेतन का भुगतान करने का निदेश दिया गया था, और उक्त रिट याचिका, शैक्षणिक प्राधिकारियों को चार महीने की अवधि के भीतर वेतन भुगतान के संबंध में याची के दावे पर विचार करने और विनिश्चय करने का निदेश देते हुए निस्तारित की गई थी। उन्होंने निवेदन किया है कि तब से कोई विनिश्चय नहीं किया गया है और जि.वि.नि. ने 18.08.2025 को निदेशक को एक पत्र लिखा है। वह निवेदन करते हैं कि विनिश्चय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाना है और वह अभी तक नहीं किया गया है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के नियमितीकरण पर विचार किया गया था, और उसे अस्वीकृत कर दिया गया है, इसलिए, वर्तमान याचिका किसी अनुतोष के लिए अधिकृत नहीं है, यद्यपि, वे याची को जुलाई, 2000 से वेतन का भुगतान न किए जाने के संबंध में, जैसा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 25.08.2000 को निदेशित किया गया था, कोई टिप्पणी करने में विफल रहे हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राज्य सरकार के विद्वान् अधिवक्ता को निदेश दिया जाता है कि वे विस्तृत अनुदेश प्राप्त करें कि वर्ष 2000 से आरंभ होने वाले वेतन का भुगतान याची को क्यों नहीं किया गया है, या अभी तक कोई विनिश्चय क्यों नहीं किया गया है।

इस मामले को अगले सप्ताह नए के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

राज्य के विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकज पटेल ने इस न्यायालय के समक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के अनुदेश दिनांक 26.11.2025 प्रस्तुत किए हैं, और इसे अभिलेख पर लिया गया है।

उक्त अनुदेशों का निर्देश करते हुए, उन्होंने निवेदन किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जुलाई 2000 से जुलाई 2006 तक के वेतन का बकाया, इसके भुगतान हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ. प्र. अर्थ-1, प्रयागराज के समक्ष भेज दिया है, जो अभी भी विचारधीन लंबित है।

उपर्युक्त की दृष्टि से, श्री पंकज पटेल यह विशिष्ट अनुदेश प्राप्त करेंगे कि, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन बिलों को, उनके भुगतान की संस्तुति के साथ भेज दिए जाने के बाद, वेतन के बकाया के भुगतान के संबंध में क्या विनिश्चय किया गया है।

इस मामले को 25.03.2026 को अपराह्न 02:15 बजे सूचीबद्ध किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उक्त दिनांक को, निदेशालय, प्रयागराज का कोई उत्तरदायी अधिकारी, जिसे याची के वेतन के बकाया के भुगतान से संबंधित पर्याप्त जानकारी हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यवाही में सम्मिलित होगा।"

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह ने, एक पत्र दिनांक 24.03.2026 सहित, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी के सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित अनुदेश दिनांक 25.03.2026 प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है।

5. श्री रण विजय सिंह, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर निवेदन करते हैं कि जि.वि.नि., लखनऊ को संबोधित पत्र दिनांक 24.03.2026, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, वित्त द्वारा जारी किया गया था, और क्योंकि रु. 7,21,578/- के भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है, इसलिए उक्त राशि पहले ही याची के खाते में जमा कर दी गई है।

6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. श्री सुरेंद्र तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सूचित किया है कि उपर्युक्त राशि पहले ही याची के खाते में जमा कर दी गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. श्री सुरेंद्र तिवारी के कथन पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि रु. 7,21,578/- की राशि पहले ही याची के खाते में जमा कर दी गई है। तदनुसार, याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। इसलिए, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

8. तथापि, याची आदेश वापसी का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, यदि उपर्युक्त राशि उसके खाते में जमा नहीं की गई है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

मार्च 25, 2026

अर्पण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”